



प्रेस नोट
थाना खेकड़ा

दिनांक 22.09.2022

थाना खेकड़ा पुलिस ने थाने के मु०अ०सं० 295/2022 धारा 392 भादवि में लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुए एक लूटेरों को किया गिफ्तार, जिसके कब्जे से लूटी हुई चैन बेचकर प्राप्त रूपयों में से बचे 2100/- रूपये नगद व चोरी की एक मो०सा० हीरो स्पेलण्डर प्लस तथा एक अवैध चाकू बरामद ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 19.07.2022 को थाना खेकड़ा पर वादी श्री मोहित गुप्ता पुत्र श्री कैलाश गुप्ता निवासी- पट्टी औरंगाबाद कस्बा व थाना खेकड़ा ने सूचना दी कि कस्बा खेकड़ा में मो०सा० सवार अज्ञात दो लडकों द्वारा वादी की माताजी के गले में पहनी चैन को खीचकर ले गये । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खेकड़ा पर मु०अ०सं० 295/22 धारा 392 भादवि पंजिकृत किया गया था ।



कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं लूटेरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा थाने के मु०अ०सं० 295/22 धारा 392 भादवि में लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुए एक

लूटेरें को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से लूटी हुई चैन बेचकर प्राप्त रूपयों में से बचे 2100/- रूपये नगद व चोरी की एक मो०सा० हीरो स्पेलण्डर प्लस रंग स्लेटी रजि नं०-HR-06AP- 9876 (जनपद पानीपत, हरियाणा से चोरी हुई) तथा एक अवैध चाकू बरामद हुआ है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकड़ा पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट:- उपरोक्त अभियोग में गिरफ्तार अभियुक्त थाना साहिबाबाद से चैन स्नेचिंग एवं थाना लोनी जनपद गाजियाबाद से मारपीट की घटना में वांछित चल रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1-जैद पुत्र जान मौहम्मद निवासी बुद्धनगर गली नं०-02 नसबन्दी कालोनी थाना लोनी जनपद गाजियाबाद (उम्र करीब 20 वर्ष)।

बरामदगी का विवरण-

- लूटी हुई चैन बेचकर प्राप्त रूपयों में से बचे 2100/- रूपये नगद (सम्बन्धित मु०अ०सं० 295/22 धारा 392/411 भादवि थाना खेकड़ा जनपद बागपत)।
- चोरी की एक मो०सा० हीरो स्पेलण्डर प्लस रंग स्लेटी रजि नं०-HR- 06AP- 9876 (जनपद पानीपत, हरियाणा से चोरी हुई)
- एक अवैध चाकू।

गिरफ्तार अभियुक्त जैद उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु०अ०सं० 1158/2021 धारा 427/506/504/324/323/147 भादवि थाना लोनी जनपद गाजियाबाद।
2. मु०अ०सं० 914/2019 धारा 332/353/341/147/149/188/186/34/151/145/143 भादवि व 7 सीएलए थाना लोनी बार्डर जनपद गाजियाबाद।
3. मु०अ०सं० 942/2022 धारा 147/452/323/308/325/504/506 भादवि थाना लोनी जनपद गाजियाबाद। (वांछित)
4. मु०अ०सं० 1292/2022 धारा 392 भादवि थाना साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद। (वांछित)

5. मु0अ0सं0 1294/2022 धारा 411/414/482 भादवि थाना साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद । (वांछित)
6. मु0अ0सं0 455/2018 धारा 392 भादवि थाना लोनी जनपद गाजियाबाद ।
7. मु0अ0सं0 454/2018 धारा 392 भादवि थाना लोनी जनपद गाजियाबाद ।
8. मु0अ0सं0 295/22 धारा 392/411 भादवि थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
9. मु0अ0सं0 424/2022 धारा 411/414 भादवि थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
10. मु0अ0सं0 425/2022 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री मौ0 आसिफ थाना खेकड़ा बागपत ।
2. का0 335 राकेश कुमार थाना खेकड़ा बागपत ।
3. का0 24 तरूण कुमार थाना खेकड़ा बागपत ।
4. का0 1008 मिथुन कुमार थाना खेकड़ा बागपत ।



प्रेस नोट
थाना खेकड़ा

दिनांक 22-09-2022

थाना खेकड़ा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 416/22 धारा 336/420 भादवि व 5/9बी विस्फोटक अधिनियम में वांछित मुख्य आरोपी सहित 04 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं अवैध विस्फोटक पदार्थ तस्करो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 416/22 धारा 336/420 भादवि व 5/9बी विस्फोटक अधिनियम में वांछित मुख्य आरोपी ओमपाल सहित 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है ।



उपरोक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना खेकड़ा पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

नोट- उपरोक्त अभियोग में थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा पूर्व में एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1-ओमपाल पुत्र इलम सिंह निवासी सी- 10 डिफेन्स कालोनी भोपुरा थाना टीलामोड़ जनपद गाजियाबाद ।

2-शौकीन पुत्र जमील नाई निवासी ग्राम तिलपनी थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

3-युसुफ पुत्र दारुद धोबी निवासी ग्राम तिलपनी थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

4-अय्याज पुत्र रियाजुल हसन निवासी ग्राम तिलपनी थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ०नि० श्री मयंक प्रताप सिंह थाना खेकड़ा बागपत ।

2-का० 789 योगेन्द्र कुमार थाना खेकड़ा बागपत ।

3-का० 701 शौकिन्द्र सिंह थाना खेकड़ा बागपत ।

4-का० 995 अभय प्रताप सिंह थाना खेकड़ा बागपत ।

5-का० 427 अरुण भाटी थाना खेकड़ा बागपत ।



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 22.09.2022

ऑपरेशन स्माईल अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने गुमशुदा 02 लड़कियाँ (उम्र 14 व 17 वर्ष) को अथक प्रयास के बाद अल्प समय में सकुशल बरामद कर उसके परिजनों को सुपुर्द किया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में चलाये जा रहे ऑपरेशन स्माईल अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने गुमशुदा 02 लड़कियाँ (उम्र 14 व 17 वर्ष) को अथक प्रयास के बाद अल्प समय में सकुशल बरामद कर उसके परिजनों को सुपुर्द किया गया ।

परिजनों द्वारा बागपत पुलिस का आभार प्रकट करते हुए भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी ।



बरामद करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री सुनील कुमार थाना कोतवाली बागपत ।
- 2-म.आरक्षी 532 पूजा थाना कोतवाली बागपत ।
- 3-म.हो.गा. 810 रितू थाना कोतवाली बागपत ।



प्रेस नोट

थाना सिंघावली अहीर

दिनांक 22.09.2022

थाना सिंघावली अहीर पुलिस व सर्विलांस टीम एवं औषधि निरीक्षक बागपत की संयुक्त टीम ने नकली दवाईयों का क्रय/विक्रय करने वाले 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से एक पेटी नकली दवाईयां बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 22.09.22 को थाना सिंघावली अहीर पर श्री मोहित कुमार दीप औषधि निरीक्षक जनपद बागपत की लिखित तहरीर एवं फर्द बरामदगी के आधार पर नकली दवाईयों का क्रय/विक्रय करने वाले 03 अभियुक्त 1.अकबर खान पुत्र खेरू निवासी मौ० शेखपुरा कस्बा व थाना खेकडा जनपद बागपत 2.आमिर पुत्र नियाज निवासी मौ० शेखपुरा कस्बा व थाना खेकडा जनपद बागपत 3.आस महोम्मद पुत्र शब्बीर अहमद निवासी ग्राम व पोस्ट



नालाएलम थाना कांधला जनपद शामली के विरुद्ध थाना सिंघावली अहीर पर मु०अ०सं० 346/22 धारा 274/275/276/420/468 भादवि व 18ए/27 औषधि प्रशाधन अधिनियम पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधो की रोकथाम एवं नकली दवाईयों का क्रय/विक्रय करने वालों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस व सर्विलांस टीम एवं औषधि निरीक्षक बागपत की संयुक्त टीम द्वारा नकली दवाईयों का क्रय/विक्रय करने वाले 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है । जिनके कब्जे से एक पेटी नकली दवाईयां बरामद हुई है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना सिंघावली अहीर पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

बरामदगी का विवरण-

- एक पेटी नकली दवाईयां (nimunex plus-sp2939, augmentin-625 mk196, pantao-dcap- spa220025, pantop-psrcap- sp8210193, cefdix-200 tablet-rr-13302, gifi-otab-11e128)

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1.अकबर खान पुत्र खेरू निवासी मौ० शेखपुरा कस्बा व थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 2.आमिर पुत्र नियाज निवासी मौ० शेखपुरा कस्बा व थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 3.आस महोम्मद पुत्र शब्बीर अहमद निवासी ग्राम व पोस्ट नालाएलम थाना कांधला जनपद शामली ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-श्री मोहित कुमार दीप औषधि निरीक्षक जनपद बागपत
- 2-श्री पीयूष कुमार औषधि निरीक्षक मेरठ जनपद मेरठ
- 3-श्री वैभव बब्बर औषधि निरीक्षक गौतमबुद्ध नगर जनपद गौतम बुद्ध नगर
- 4-प्रभारी उ०नि० श्री अभिषेक मय सर्विलांस टीम जनपद बागपत
- 5-का० 823 ओमवीर सिंह थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत
- 6-का० 406 रविन्द्र भाटी थाना सिंघावली अहीर बागपत



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 22.09.2022

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 914/22 धारा 323/324/427/452/504/506 भादवि व 3(2)5क SC/ST Act भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 21.09.22 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी श्री कृष्णपाल पुत्र मुंशी लाल निवासी ग्राम काठा थाना बागपत ने सूचना दी कि अभियुक्त अजय पुत्र राकेश निवासी ग्राम काठा थाना बागपत द्वारा वादी के घर पर आकर वादी व वादी के पुत्र मुकेश के साथ जाति-सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुये धारदार हथियार से वार कर मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी व वहाँ रखे कम्प्यूटर व लाईट तोड़ दी । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 914/22 धारा 323/324/427/452/504/506 भादवि व 3(2)5क SC/ST Act पंजीकृत किया गया ।



इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 914/22 धारा 323/324/427/452/504/506 भादवि व 3(2)5क SC/ST Act पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 914/22 धारा 323/324/427/452/504/506 भादवि व 3(2)5क SC/ST Act से सम्बन्धित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-अजय पुत्र राकेश निवासी ग्राम काठा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- -

1. उ0नि0 श्री दीपक कुमार थाना कोतवाली बागपत ।
2. का0 479 कुलदीप शर्मा थाना कोतवाली बागपत ।



प्रेस नोट
थाना बडौत

दिनांक 22-09-2022

थाना बडौत पुलिस द्वारा एक वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा एक वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्त का नाम व पता-

1- चाँद पुत्र कय्यूम निवासी ग्राम कौताना थाना बडौत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री ज्ञानेन्द्र सिंह थाना बडौत जनपद बागपत ।

2-का0 262 कवित कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।

3-का0 893 राहुल शर्मा थाना बडौत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट

थाना बडौत

दिनांक 22.09.2022

थाना बडौत पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से चोरी की एक मोटरसाईकिल स्पलेण्डर फर्जी नम्बर प्लेट लगी हुई बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से चोरी की एक मोटरसाईकिल न0 UP- 16AU- 8043 स्पलेण्डर प्लस रंग काला पर फर्जी नम्बर प्लेट न0 UP- 14CS- 8839 लगी हुई बरामद हुई है ।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बडौत पर मु0अ0स0 918/22 धारा 420/414/411 भादवि पंजीकृत किया गया है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1- फारूख पुत्र फैजुल हसन निवासी ग्राम शबगा थाना छपरौली जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- चोरी की एक मोटरसाईकिल न० UP- 16AU- 8043 स्पलेण्डर प्लस रंग काला पर फर्जी नम्बर प्लेट न० UP- 14CS- 8839 लगी हुई ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ०नि० श्री नरेशचन्द यादव थाना बडौत ।
- 2-का० 814 अमित नागर थाना बडौत ।
- 3- का० 1102 सुशान्त सिंह थाना बडौत ।



प्रेस नोट

थाना बिनौली

दिनांक 22.09.2022

थाना बिनौली पुलिस ने थाने के मु०अ०सं० 246/22 धारा 363 भादवि में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा थाने के मु०अ०सं० 246/22 धारा 363 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-अशरफुल अली पुत्र सईदुल शेख निवासी ग्राम तराईखाना थाना साहिबगंज जनपद कूचविहार पश्चिम बंगाल उम्र 19 वर्ष ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ0नि0- श्री आदित्य कुमार थाना बिनौली
- 2- का0 195 मनोज शर्मा थाना बिनौली
- 3- सर्विलांस सैल टीम जनपद बागपत



प्रेस नोट

थाना चांदीनगर

दिनांक 22.09.22

थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा पशु क्रूरता अधिनियम में 07 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से एक गाडी आयशर कैंटर जिसमें क्रूरतापूर्वक भरे हुए 18 पशु बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं पशु तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 07 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है । जिनके कब्जे से एक गाडी आयशर कैंटर जिसमें क्रूरतापूर्वक भरे हुए 18 पशु बरामद हुये है ।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना चांदीनगर पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-दिलशाद पुत्र सत्तार निवासी अजराला थाना मुन्डाली जनपद मेरठ ।
- 2-आस मौहम्मद पुत्र समसुद्दीन निवासी ग्राम घुघराला थाना हाफिजपुर जनपद हापुड़ ।
- 3-साबिर पुत्र जमीर निवासी एक मीनार मस्जिद के पास चिरौड़ी थाना लोनी जनपद गाजियाबाद ।

- 4-जामूद्दीन पुत्र गुगा निवासी मौहल्ला मीरा रेती कस्बा व थाना गढ़ जनपद हापुड़ ।
5-गुन्दू पुत्र वसीयत निवासी ग्राम सलाई थाना हापुड़ दैहात जनपद हापुड़ ।
6-इस्लाम पुत्र लीला निवासी ग्राम शरफाबाद थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।
7-असलम पुत्र यासीन निवासी मौहल्ला मदरसा कस्बा व थाना गढ़ जनपद हापुड़ ।

बरामदगी का विवरण-

- एक गाडी आयशर कैन्टर UP- 14ET- 9067
- क्रूरतापूर्वक भरे हुए 18 पशु ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 अखिलेश यादव
2.है0का0 229 चमन सिंह
3-का0 934 अश्वनी कुमार
4-का0 433 गौरव कुमार



प्रेस नोट
थाना खेकड़ा

दिनांक 22.09.2022

थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को



गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्त का नाम व पता:-

1. वासिद पुत्र वाहिद निवासी भवानीपुर थाना सहसवान जनपद बदायूं।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री दिनेश कुमार थाना खेकड़ा बागपत ।
2. का0 1022 अजय कुमार थाना खेकड़ा बागपत ।



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 22.09.2022

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 915/22 धारा 307 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 22.09.2022 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी श्री ओमपाल पुत्र अजब सिंह निवासी ग्राम पाँवला थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ने सूचना दी कि उसके चचेरे भाई सुनील पुत्र प्रकाश द्वारा उसके सिर पर जान से मारने की नीयत से धारदार हथियार से वार कर गम्भीर रूप से घायल कर दिया है । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के



आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 915/2022 धारा 307 भादवि पंजीकृत किया गया है ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 915/22 धारा 307 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त सुनील पुत्र प्रकाश निवासी ग्राम पाँवला थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत को गिरफ्तार किया गया विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1- सुनील पुत्र प्रकाश निवासी ग्राम पाँवला थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री विपिन कुमार थाना कोतवाली बागपत ।
2. का0 846 नरेन्द्र कुमार थाना कोतवाली बागपत ।